न्यायालय [illegible] जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 65 / 2020
दायर दिनांक : 11.09.2020

अनवान

1. कल्याण पिता कजोड़ जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
2. धन्ना पिता जोरा उर्फ जोरू जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
3. भवाना पिता जोरा उर्फ जोरू जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
4. सम्पत पिता जोरा उर्फ जोरू जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
5. हरि पिता जोरा उर्फ जोरू जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गा पिता बागा जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
2. नोजी पत्नि बागा जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
3. रामेश्वर पिता बागा जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
4. सोलाल पिता बागा जाट निवासी थलकला तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामणिया।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री राधेश्याम शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थलकला पटवार हल्का थलकला में स्थित भूमि आराजी संख्या 2000 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1554 के दक्षिणी भाग मे स्थित 12 फीट चौड़ा रास्ता आराजी नम्बर 1557 पर 60–70 वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु दिनांक 08.09.2020 को रास्ते से निकलने देने से मना कर दिया धमकी दी गई। रास्तें को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1554 के दक्षिणी भाग पर 12 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

उक्त प्रकरण में विपक्षीगण की और से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। मामले में वर्णित तथ्य गलत होकर अ[illegible] विपक्षीगण की खातेदारी जमीन आराजी नम्बर 1554 सिथत है वहा मौके पर 12 फीट चौड़ा [illegible]लब्ध नही है। प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 1554 पर पिछले 60–70 [illegible] अंकित किया है। प्रार्थीगण ने रंजिशवश परेशान करने के लिए उनकी जमीन [illegible] बताया है। प्रार्थी की जमीन पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है लेकिन प्रार्थी उक्त रास्ते [illegible] निकलकर प्रार्थी की कृषि भूमि में से होकर जबरन रास्ता [illegible]कालना चाहते है जो गल[illegible] विपक्षीगण की आराजी मे से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण की आराजी में से विपक्षीगण को रास्ते में उपयोग आने वाली जमीन जितनी दिलाई जाना आवश्यक है एवं न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2861 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम थलकला पटवार हल्का थलकला की आराजी संख्या 1557 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 1554 में से 12 फीट चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी नम्बर 1554 मे से 224 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 3 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 63974 रूपये प्रति बीघा से 9596 रूपये बनती है। दुगुनी दर 19192 रूपये है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादी सोलाल पिता बागा जाट उपस्थित है तथा हस्ताक्षर है।

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–78, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 1554 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 3 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 3 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 63974 रू. प्रति बीघा से 9596 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 19192 रू. बनती है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) (a) के अनुसरण में ग्राम थलकलां पटवार हल्का थलकलां तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 1557 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम थलकला पटवार हल्का थलकला की आराजी संख्या 1554 में से 3 बिस्वा दक्षिणी मेड पर रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 63974 रू. प्रति बीघा से 9596 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 19192 रू. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(उत्सव चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:50:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner